



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05062026-273180  
CG-DL-E-05062026-273180

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 363]  
No. 363]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 2, 2026/ज्येष्ठ 12, 1948  
NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 2, 2026/JYAISHTHA 12, 1948

## राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मई, 2026

**सं. राबैं.एचआरएमडी.पीपीडी/एसए-10/2024-25.**— राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 61) की धारा 60 की उप-धारा (2) के खण्ड (जे) के साथ पठित, उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का बोर्ड, केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन और भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक पेंशन विनियमावली, 1993 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन विनियमों को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक पेंशन (संशोधन) विनियमावली, 2026 कहा जा सकेगा।  
(2) ये विनियम राजपत्र में इनके अधिसूचित होने की तारीख से लागू होंगे।
- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक पेंशन विनियमावली, 1993 (इसके पश्चात इन्हें उक्त विनियम कहा गया है) के विनियम 3 में, उप-विनियम (1) में, "01 नवंबर 1993" शब्दों और अंकों के बाद "और 01 जनवरी 2012" शब्द और अंक जोड़े जाएंगे।

3. उक्त विनियमावली के विनियम 6 में, उप-विनियम (1) में, खण्ड (ख) में अंक “3,500/-” के स्थान पर अंक “9,000/-” प्रतिस्थापित किया जाएगा।
4. उक्त विनियमावली के विनियम 7 में, अंक “3,500/-” के स्थान पर अंक “9,000/-” प्रतिस्थापित किया जाएगा।
5. उक्त विनियमावली के विनियम 27 में, उप-विनियम (2) में, अंक “3,500/-” के स्थान पर अंक “9,000/-” प्रतिस्थापित किया जाएगा।
6. उक्त विनियमावली के विनियम 28 में, अंक “3,500/-” के स्थान पर अंक “9,000/-” प्रतिस्थापित किया जाएगा।
7. उक्त विनियमावली के विनियम 32 में, उप-विनियम (5) में, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा-

“(5) 1 मार्च 2019 से, पारिवारिक पेंशन का सामान्य दर वेतन का तीस प्रतिशत होगी, ₹9,000/- प्रति माह के न्यूनतम की शर्त पर

स्पष्टीकरण.- अंशकालिक कर्मचारी के मामले में, पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम और अधिकतम राशि लागू मजदूरी की दर के अनुपात में होगी।”

दिनेश पूलक्कुन्नत, मुख्य महाप्रबंधक

[विज्ञापन-III/4/असा./132/2026-27]

**नोट:** मूल विनियमावली भारत के राजपत्र, भाग III, खण्ड 4 में अधिसूचना संख्या 44, दिनांक 29 अक्टूबर, 1994 के तहत प्रकाशित की गयी थी, और तत्पश्चात अधिसूचना संख्या 20, दिनांक 26 मार्च, 2009 तथा अधिसूचना संख्या 52, दिनांक 18 दिसंबर, 2014 के माध्यम से इनमें संशोधन किया गया।

## NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

### NOTIFICATION

New Delhi, the 18th May, 2026

**No. NB.HRMD.PPD/SA-10/2024-25.**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (j) of sub-section (2) of section 60 of the National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981 (61 of 1981), the Board of the National Bank for Agriculture and Rural Development, with the previous approval of the Central Government and in consultation with the Reserve Bank of India, hereby makes the following regulations further to amend the National Bank for Agriculture and Rural Development Pension Regulations, 1993, namely :-

1. Short title & commencement.- (1) These regulations may be called the National Bank for Agriculture and Rural Development Pension (Amendment) Regulations, 2026.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the National Bank for Agriculture and Rural Development Pension Regulations, 1993 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 3, in sub-regulation (1), after the figures and words “01 November 1993”, the words and figures “and before 1<sup>st</sup> January, 2012” shall be inserted.
3. In the said regulations, in regulation 6, in sub-regulation (1), in clause (b), for the figures “3,500/-”, the figures “9,000/-” shall be substituted.
4. In the said regulations, in regulation 7, for the figures “3,500/-”, the figures “9,000/-” shall be substituted.
5. In the said regulations, in regulation 27, in sub-regulation (2), for the figures “3,500/-”, the figures “9,000/-” shall be substituted.
6. In the said regulations, in regulation 28, for the figures “3,500/-”, the figures “9,000/-” shall be substituted.
7. In the said regulations, in regulation 32, for sub-regulation (5), the following sub-regulation shall be substituted, namely: -

“(5) From the date of 1<sup>st</sup> March 2019, the ordinary rate of family pension shall be thirty per cent of pay, subject to a minimum of rupees 9,000/- per month.

Explanation.- In the case of a part-time employee, the minimum and maximum amount of family pension shall be in proportion to the rate of wages applicable.”

DINESH POOLAKKUNNATH, Chief General Manager

[ADVT.-III/4/Exty./132/2026-27]

**Note :** The principal regulations were published in the Gazette of India, Part III, Section 4, vide notification number 44, dated the 29<sup>th</sup> October, 1994 and subsequently amended vide notification number 20, dated the 26<sup>th</sup> March, 2009 and notification number 52, dated the 18<sup>th</sup> December, 2014.